जिन्हें वाकई बात करना आता है वो अक्सर खामोश रहते है।
– अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून शनिवार 22 फरवरी 2020

पेज थ्री
www.page3news.in

महिलाओं को बराबरी का हक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं। इसके लिए मार्च 2019 के बाद सेना से जुड़ने की सरकारी शर्त भी अदालत ने हटा दी।

राम अवतार।

आखिरकार थलसेना में भी महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया। उन्हें स्थायी कमीशन और कमांड पोस्टिंग दिए जाने का रास्ता खुल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि उन सभी महिला अफसरों को तीन महीने के अंदर आर्मी में स्थायी कमीशन दिया जाए, जो यह विकल्प चुनना चाहती हैं। इसके लिए मार्च 2019 के बाद सेना से जुड़ने की सरकारी शर्त भी अदालत ने हटा दी। अभी तक आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के तहत 14 साल की सेवा दे चुके पुरुष सैनिकों को ही स्थायी कमीशन का विकल्प मिलता रहा है।

महिला सैनिकों को इसके लिए हकदार नहीं माना जाता था। इसके विपरीत वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिलता रहा है। इस तरह इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के साल 2010 के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की इजाजत दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 में दी थी, फिर 2 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी थी। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने इस पर अमल नहीं किया।

हाईकोर्ट के फैसले के नौ साल बाद फरवरी 2019 में सरकार ने सेना के 10 विभागों में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने की नीति बनाई, लेकिन साथ में यह शर्त भी जोड़ दी कि इसका फायदा मार्च 2019 के बाद से सर्विस में आने वाली महिला अफसरों को ही मिलेगा। इस तरह वे महिलाएं स्थायी कमीशन पाने से वंचित रह गईं, जिन्होंने इस मसले पर लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी।

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी थी कि सेना में ज्यादातर जवान ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और महिला अधिकारियों से फौजी हुक्म लेना उनके लिए सहज नहीं होगा। यह भी कि महिलाओं की शारीरिक स्थिति और पारिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनाने में बाधक हैं। इस दलील को नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को कमांड पोस्ट पर न रखना अतार्किक है और समानता के खिलाफ भी।

केंद्र सरकार को महिलाओं के प्रति मानसिकता बदलनी होगी और सेना में समानता लानी होगी। कमांड पोस्टिंग का अर्थ है किसी यूनिट, कोर या कमान का नेतृत्व करने वाली पोस्टिंग। दरअसल, समाज की मानसिकता बदलने के साथ महिलाओं को सेना में शामिल तो कर लिया गया पर उन्हें लेकर सेना के नेतृत्व में झिझक मौजूद रही है जो अभी तक मिटी नहीं है। महिलाओं ने सेना के दरवाजे अपने लिए खुलने के बाद यह साबित किया है कि सारे काम वे पुरुषों जितनी ही कुशलता से कर सकती हैं। फौजी इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। उनकी अगली मंजिल कॉम्बैट रोल है। उन्हें इस भूमिका में लाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अभी सरकार और सेना पर छोड़ दिया है। उम्मीद करें कि महिलाएं जल्द ही इस भूमिका में भी नजर आएंगी।

जवाब देना जरूरी

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

इन सवालों का उसी समय जवाब देना जरूरी नहीं है... अपने भीतर ध्यान दें कि आपके मस्तिष्क में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अपनी देह की तरफ ध्यान केन्द्रित करें... क्या कोई समस्या है? अगर आपको लगे कि आपके भीतर न्यूनतम स्तर पर भी असहजता है, तो यह जानने की कोशिश करें कि आप अपने जीवन को किस तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। आपके भीतर और बाहर क्या चल रहा है.. इस पर निरंतर ध्यान देना होगा। अगर आपके भीतर सब सही है तो बाहर के बुरे हालात भी आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। प्रारंभिक वास्तविकता आपके भीतर है... जो बाहर है वह गौण है।

संपादकीय

हर अहम सवाल

यूं तो औरत से जुड़े हर अहम सवाल पर न तो खुद बोलना, न किसी को बोलने देना ही इस देश की परपंरा रही है, लेकिन 8 साल पहले निर्भया वाली घटना के विरोध में जब राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक लोग सड़कों पर उतर आए, जब अखबारों के पन्ने औरत के सम्मान और सुरक्षा पर लिखे लेखों से पट गए, जब ये सवाल इतना बड़ा हो गया कि संसद से लेकर न्यायालय के गलियारों तक में हलचल होने लगी तब कानून बदला, सख्त हुआ। जब सब ओर से इस बारे में लोग बात करने लगे और अचानक औरतों की जिंदगी से जुड़े सवाल देश और राजनीति की मुख्यधारा में आ गए तो लगा कि चुप्पी टूट रही है। और अभी बोलना शुरू किए ढंग से 8 बरस भी नहीं बीते हैं कि लग रहा है अचानक सब चुप हो गए हैं। यह चुप्पी डराने वाली है, उन लड़कियों के लिए, जिन्होंने इतने सालों में लड़–लड़कर अपने लिए थोड़ी सी जगह बनाई है, थोड़ी सी आजादी कमाई है। यह चुप्पी डराने वाली है क्योंकि यह सिर्फ न बोलना भर नहीं है। यह धमकी है कि दुनिया में अभी भी मर्दों का राज है। वे कह रहे हैं कि हम जिस जय श्रीराम के नारे के साथ जमानत पर छूटे बलात्कारी बाबा का स्वागत करेंगे, उसी नारे से तुम्हारे कॉलेज में घुसकर तुम्हारे साथ जो चाहेंगे करेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सत्ता में बैठे लोग हमारे साथ हैं, हम मर्द हैं, हम ही सत्ता हैं। इस घटना पर हर न बोले गए शब्द, हर न उठी आवाज का अर्थ यही है कि औरतों की कोई औकात नहीं है। औकात सिर्फ मर्द की होती है क्योंकि बलात्कार से लेकर छेड़खानी तक की हर सजा औरत के साथ हुए अन्याय से नहीं, मर्द की औकात से तय हो रही है। गरीब मजदूर हुआ तो उसे फांसी पर चढ़ाया जाएगा और ताकतवर बाबा हुआ तो उसे माला पहनाई जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम धरने पर कुछ नहीं कह रहे लेकिन सवाल ये है कि यह धरना कहां हो रहा है? हमारी चिंता यह है कि यह प्रदर्शन सड़क पर किया जा रहा है।

यह धरना कहां हो रहा है?

आरती सिंह।

सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला को मध्यस्थ नियुक्त किया है। कोर्ट ने उन्हें प्रदर्शनकारियों से बात करके प्रदर्शन स्थल बदलने के लिए मनाने को कहा है। इसके लिए उन्हें एक हफ्ते का समय दिया गया है।

शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के विरोध में जारी आंदोलन के खिलाफ याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'हम धरने पर कुछ नहीं कह रहे लेकिन सवाल ये है कि यह धरना कहां हो रहा है? हमारी चिंता यह है कि यह प्रदर्शन सड़क पर किया जा रहा है, इस केस या फिर किसी भी केस में सड़क को ब्लॉक नहीं किया जा सकता।' अदालत ने कहा कि एक कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना लोगों का मौलिक अधिकार है लेकिन इसके लिए सड़क रोक कर रखना ठीक नहीं है। लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति से चलता है लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। कोर्ट ने सरकार पर भी सवाल उठाया कि अब तक उसने प्रदर्शन समाप्त कराने की कोशिश क्यों नहीं की? शाहीन बाग में करीब

दो महीने से सीएए और एनआरसी के खिलाफ धरना–प्रदर्शन चल रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाली रोड 13 ए बंद है। इसके चलते दिल्ली और फरीदाबाद के कुछ खास इलाकों से नोएडा का सफर करने वालों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे छोटे कारोबारी और मेहनत–मजदूरी करने वाले भी प्रभावित हो रहे हैं।

आंदोलनकारियों की शिकायत है कि सरकार उनसे बात करने को ही तैयार नहीं है। कोई छोटा से छोटा सरकारी प्रतिनिधि भी अब तक बातचीत के लिए आगे नहीं आया है। उनसे संवाद करने को लेकर सरकार ने गोलमोल बयान ही दिए हैं। यही नहीं, सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने तो इस आंदोलन से जुड़े लोगों को देशद्रोही और न जाने क्या–क्या कह डाला है। अगर सरकार ने शुरू में ही प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त करने की कोशिश की होती तो नौबत यहां तक आती ही नहीं।

सरकार इस पहलू को अनदेखा कर रही है कि मामला केवल शाहीन बाग का नहीं है। देश की एक बड़ी आबादी में सीएए और एनआरसी को लेकर कई तरह के संशय हैं जो तभी दूर होंगे, जब सरकार इनका विरोध कर रहे लोगों से सीधे बात करे। धरना–प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए बड़ी स्वाभाविक चीज है। देश में जब भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए या किसी ने अनशन किया तो सरकार की ओर से उसके असंतोष को समझने की कोशिश होती है। जरूरी नहीं कि उनकी सभी मांगें मान ली जाती हों, लेकिन देश के अभिभाष्यक के रूप में सरकार उन्हें अपनी सीमाओं से अवगत कराती है। लेकिन सीएए विरोधी प्रदर्शनकारियों को वह इस तरह देख रही है, जैसे वे पराये हों। अदालत ने मध्यस्थता की कोशिश एक सड़क खुलवाने के लिए ही शुरू की है। इस पहल का दायरा बड़ा हो, यह प्रयास सरकार की तरफ से होना चाहिए।

सूडोकु नवताल-5257

★★★★☆ मध्यम

	9				4			
8	4			6		9		5
5		6	8	2		3		
	1	5	6	3			9	7
3	6			9	7	1	4	
		1		4	8	7		6
9		4		7			2	1
			2				8	

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते .
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -5256 का हल

8	5	4	7	3	2	6	1	9
6	7	1	9	5	4	3	2	8
2	9	3	8	6	1	7	5	4
4	3	9	2	1	7	8	6	5
5	6	2	3	8	9	4	7	1
7	1	8	6	4	5	9	3	2
3	2	6	5	9	8	1	4	7
9	4	7	1	2	6	5	8	3
1	8	5	4	7	3	2	9	6

अपना ब्लॉग — कोरोना वायरस की यह शुरुआत

मोहन। शुरू में वायरस सामान्य सर्दी ,खासी, बुखार आदि के रूप में अपना असर दिखाता है और उस समय पता लगाना मुश्किल है कि कोरोना वायरस की यह शुरुआत है। अधिकांश मामलों में इसकी पुष्टि तब हो पाती है, जब बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। इसके वैक्सीन की खोज करने में वैज्ञानिक जुटे हैं, परंतु जब तक खोज नही हो जाती, तब तक तो बचाव के उपाय अपनाकर इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। इस बात के बारे में सारी दुनिया को जागरूक किया जाए ताकि यह बीमारी महामारी का रूप न ले सके। इस बीमारी से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे, परन्तु यदि कोई देश एहतियाती कदम के रूप में चीन से लाए गए अपने नागरिकों अथवा चीन होकर आने वाले पर्यटकों को चिकित्सकीय निगरानी में रखता है तो यह सर्वथा उचित है। उस देश के इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि वह कोरोना वायरस के बारे में भय पैदा कर रहा है। इस पर न किसी तरह का विवाद उठना चाहिए और न इसकी भयावहता को लेकर दुनिया को अंधेरे में रखा जाना चाहिए।